

No.

Description Sheet No.

792/15

प्रकरण क्रमांक 792/15

दिनांक 12-11-18

प्रकरण आज लोक अदालत में पेश।

राज्य द्वारा एवीपीओ उपरो।

आरोपी समसिंह स्वयं सहित श्री दिनेश गुजर अतिवृत्ता अभियुक्त।

परिवादी सुनील अवधूत सहित उसके पिता पदमसिंह उपस्थित जिनके द्वारा राजीनामा आवेदन पेश किया गया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आरोपी को विरुद्ध भा.द.स. की धारा 294, 323, 506 भाग-2 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार किया गया है जो न्यायालय की अनुमति उपरांत राजीनामा योग्य है। परिवादी सुनील के अवस्थ होने से उसके पिता आवेदक पदमसिंह ने धारा 320-4 दण्डविधि के अधीन अवधूत सुनील की ओर से सविदा कसमें के लिये सहम होने के लिये आवेदक पदम ने आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा कसमें के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। आवेदक पदम राजीनामा करने के लिये सहम है। अतः उपर्युक्त द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आरोपी एवं पदम द्वारा संपुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा पेश किया गया है। अतः राजीनामा के अन्तर्गत आरोपी रायसिंह को भा.द.स. की धारा 294, 323, 506 भाग-2 दण्डविधि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुकदमों का समाप्त होने के लिये जाते हैं।

प्रकरण में जलशुदा लाठी नष्ट की जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखीयार भेजा जावे।

(रायसिंह नारायण)  
रायसिंह नारायण  
लोक अदालत फीटिंग कमीशन-22

नदरय श्री प्रदीप स्वामी एड. गोहर

श्री सोहनसिंह तोंपर एड. मोहन

२०१

५००

रायसिंह  
पदमसिंह

रायसिंह  
पदमसिंह